प्रारूप समिति
उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता-2015

प्रारूप समितिः

अध्यक्ष
राज बहादुर सिंह यादव
अपर महाधिवक्ता, उ०प्र०
rbsinghyadva11@gmail.com
Ph. 0522-2624753

संयोजक/सदस्य
भोला नाथ यादव
एडवोकेट
baharatyadava1507@gmail.com

सदस्य
भीष्म लाल वर्मा
पी०सी०एस०
उपायुक्त, राजस्व परिषद, उ०प्र०

सदस्य/सचिव
सुनील कुमार चौधरी
पी०सी०एस०
उपायुक्त, राजस्व परिषद, उ०प्र०
sskchaudhary@gmail.com
Ph. 0522-2620476

अ0शा0पत्र सं0 5.3/रा.सं./16

दिनांक 15.03.2016

दिनांक 13/03/2016 को उ0प्र0 राजस्व संहिता हेतु भूलेख नियमावली के प्रारूपण हेतु राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ में संपन्न हुई मीटिंग का कार्यवृत्त

राजस्व संहिता प्रारूप समिति की बैठक मेरी अध्यक्षता में दिनांक 13/03/2016 को राजस्व परिषद, उ0प्र0 के सभागार में सम्पन्न हुई जिसमें श्री भोलानाथ यादव, संयोजक सदस्य, प्रारूप समिति, राजस्व संहिता, श्री भीष्म लाल वर्मा, सदस्य, प्रारूप समिति राजस्व संहिता के साथ ही साथ लेखपाल संघ के अध्यक्ष, महामंत्री सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारी उपस्थित हुये।

मेरे द्वारा पूछने पर कि भूलेख नियमावली (लेण्ड रिकॉर्ड मैनुअल) के प्रारूपण में लेखपालों को अधिक सशक्त, सुविधायुक्त व जिम्मेदार बनाने के साथ ही कर्तव्यहीनता पर उचित दण्ड का प्रावधान करने हेतु आप सभी के सुझाव आमन्त्रित हैं।

प्रत्येक वर्ष तहसील स्तर पर भी दिनांक 11 फरवरी को राजस्व दिवस मनाया जाय और अच्छे कार्य करने वाले लेखपालों को प्रशस्ति/पुरस्कृत किया जाय। इस हेतु राजस्व परिषद से अनुरोध करने पर सहमति बनी।

श्री विनोद कश्यप द्वारा यह सुझाव दिया गया कि लेखपाल से दण्ड के बजाय प्रोत्साहन द्वारा कार्य लिया जाय जिससे लेखपाल अच्छे कार्य करेंगे। दण्ड के लिये पहले ही पर्याप्त प्रावधान है अतिरिक्त प्रावधान की जरूरत नही है।

महामंत्री, लेखपाल संघ द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिस स्तर की जांच हेतु शिकायत आये उससे एक पद ऊपर वाले अधिकारी से जॉच का सख्त प्रावधान हो। सभी जांच लेखपाल को न दी जाय तथा लेखपाल को दिये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य यथासम्भव न दिये जाय। साथ ही साथ लेखपाल को दण्ड देने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिये। पांच साल तक एडवर्स एन्ट्री के प्रभाव का समय घटाया जाय।

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित 2015 के लागू होने से काम का भार बढ़ेगा। अतः लेखपालों का प्रमोशन शीघ्र किया जाय और लेखपाल के पदों को भी भरा जाय।

अध्यक्ष लेखपाल संघ द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि लेखपाल का वेतन बहुत कम है और वेतन के सापेक्ष काम ज्यादा है इसलिये वेतन वृद्धि बहुत जरूरी है। इस हेतु लेखपाल संघ राजस्व परिषद के अधिकारियों से समय लेकर वार्ता करेंगे तदोपरान्त यथोचित पैरवी की जायेगी।

अध्यक्ष के साथ भूपेश जी एवं अशोक जी द्वारा यह मॉग की कि श्रीमान् मुख्य सचिव, उ0प्र0 सरकार की मीटिंग में हुए समझौता के अनुसार लेखपालों की पदोन्नति की जाय। इस पर भी परिषद के अधिकारियों से वार्ता करने हेतु सहमति बनी। पदाधिकारियों ने श्रीमान् प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 27.10.2014 के कार्यवृत्त की प्रति, राजस्व परिषद का आदेश दिनांक 25.11.2014 तथा श्रीमान् प्रमुख सचिव, राजस्व को प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन आदि प्रपत्र भी दिये।

अध्यक्ष लेखपाल संघ द्वारा यह बात संज्ञान में लायी गयी कि आपदा आयी थी तो सारे कार्य लेखपाल से लिये गये। सर्वे कर लिस्ट तैयार कराई गयी, मुआवजा भी निर्धारित कराया गया चेक भी लेखपाल से ही भरवाये गये और बाद में लेखपालों पर आरोप भी लगाये गये। सुझाव दिया गया कि आपदा आदि के समय सभी सम्बन्धित विभाग के साथ एक टीम का गठन किया जाना चाहिये। जिससे गलतियों की संभावना कम रहेगी।

महामंत्री लेखपाल संघ द्वारा भत्ता पर मांग पर समिति के समक्ष श्री भीष्मलाल वर्मा परिषद द्वारा प्रस्तावित एवं दी जा रही सुविधाओं के प्रपत्र एकत्रित कर तदोपरान्त समिति विचारविमर्श कर प्रारूप में सम्मिलित करेगी।

संघ के पदाधिकारियों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि लैपटाप तथा नेट का खर्चा भी उपलब्ध कराया जाय। वर्तमान में साइबर में काम करना पड़ता है और उसमें पैसा खर्च होता है। यह भी सुझाव दिया गया कि आय, जाति आदि की एक प्रिन्ट कापी लेखपाल को भी उपलब्ध होनी चाहिये। जिसके सम्बन्ध में आदेश जारी करने तथा लेखपालों से सम्बन्धित पारित आदेशों/निर्देशों की एक–एक प्रति लेखपाल संघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री को भी भेजी जाने का अनुरोध किये जाने पर सहमति बनी।

राजस्व संहिता को जमीन पर उतारने के लिये संघ के पदाधिकारियों द्वारा नये संशोधनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया तथा सुझाव दिया कि इसकी बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कार्यकम चलाये जायें तथा आवाम को भी जानकारी हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाय। इस हेतु मत स्थिर हुआ कि अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रमुख सचिव, राजस्व व आयुक्त/सचिव के साथ प्रारूप समिति बैठक कर (पूर्व में तैयार) विस्तृत योजना का प्रारूप रखे जिस पर अविलम्ब निर्णय लिया जा सके।

संघ का सुझाव है कि प्रयोक्ता प्रभार मद में प्रत्येक जिले में पर्याप्त धन है, उस धन से प्रचार प्रसार कराया जाय। यह तथ्य उच्चस्तरीय बैठक में रखा जाये।

संघ के उपाध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी जगह खतौनी में एक मानक नही है जिसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाना चाहिये। चकतराशी मैप और फाइनल मैप से मिलान कर सही नक्शा बनाया जाय। पारदर्शी कागज में नक्शा तैयार कराये जायें। राजस्व परिषद से विचारविमर्श कर उचित निर्णय आवश्यक है।

श्री पी0पी0 राय द्वारा सुझाव दिया गया कि राजस्व अधिकारी ह्वाट्सऐप पर ग्रुप बनाये और गांव/तहसील स्तर पर कर्मचारी जो मौके पर जाये वो फोटो पोस्ट करे।

(राज बहादुर सिंह यादव)
अध्यक्ष,
विधिक/प्रारूप समिति, उ0प्र0 राजस्व संहिता।

<u>प्रतिलिपि:</u>

1. प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त/सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. उ0प्र0 राजस्व संहिता, प्रारूप समिति के सदस्यगण श्री भोलानाथ यादव, श्री भीष्मलाल वर्मा एवं श्री सुनील कुमार चौधरी।
4. अध्यक्ष/महामंत्री, लेखपाल संघ, उ0प्र0।

अध्यक्ष, विधिक/प्रारूप समिति, उ0प्र0 राजस्व संहिता।